

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1526]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936

No. 1526]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

का.आ. 1894 (अ.) ---कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और उसकी धारा 1 उसी तारीख से प्रवृत्त है;

और अधिनियम की धारा 2 का खंड (76), जिसमें "संबंधित पक्ष" पद की परिभाषा दी गई है, 12 सितंबर, 2013 से प्रवृत्त है।

और उपखंड (iv) में 'संबंधी' शब्द नहीं होने के कारण, यद्यपि यह शब्द उपर्युक्त खंड (76) के उपखंडों (i), (ii), (iii) और (v) में आया है, उक्त खंड के निर्वचन में कठिनाइयां पैदा हुई हैं, परिणामत: उक्त परिभाषा की असामंजस्यपूर्ण निर्वचन हुई है।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्यक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) छठा आदेश, 2014 है।
- (2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2996 GI/2014

(1)

2. धारा 2 में संशोधन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) के उपखंड (iv) में, शब्द "प्रबंधक" के पश्चात्, "या उसका संबंधी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे :

[फा. सं. 2/14/2014-सीएल-V] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 24th July, 2014

S.O. 1894 (E).—Whereas the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 29th August, 2013 and section 1 thereof came into force on the same date;

And whereas clause (76) of section 2 of the Act, which provides for definition of the term "related party" has come into force on 12th September, 2013;

And whereas difficulties have arisen in interpreting the said clause due to the absence of the word "relative" in sub-clause (iv), although such word has occurred in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (v) of the aforesaid clause (76) resulting in a disharmonious interpretation of the said definition.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:—

- 1. **Short title and commencement.—**(1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Sixth Order, 2014.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Amendment of section 2.**—In section 2 of the Companies Act, 2013, in clause (76), in sub-clause (iv), after the word "manager", the word "or his relative" shall be inserted.

[F. No. 2/14/2014-CL.V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.